न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजू:– 11.08.2021

मु0न0 04/21

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

प्रहलाद पुत्र जलधारी मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

अपीलांट

बनाम

1. कल्हण पुत्र रामप्रसाद
2. जगमोहन पुत्र रामप्रसाद
3. मुंशी पुत्र रामप्रसाद
4. कैलाशी पुत्री रामप्रसाद
5. मुन्नी पत्नि फरेवी पुत्री जलधारी जाति मीना निवासी भजेडा तहसील हिण्डौन।
6. साबो पत्नि मलारी पुत्री जलधारी जाति मीना निवासी इननिया तहसील हिण्डौन।
7. रामस्परूप पुत्र भौरया जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम।
8. ग्राम पंचायत शेखपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शेखपुरा तहसील टोडाभीम।
9. ग्राम पंचायत शेखपुरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत शेखपुरा तहसील टोडाभीम।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश अदालत ग्राम पंचायत शेखपुरा
नामांतकरण सख्या 675 दिनांक 07.06.2021
उपस्थिति:– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय दिनांक:– 09.4.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार [illegible] ग्राम पंचायत शेखपुरा की आराजीयात ख0न0 1263/0.19, 1264/0.12, [illegible], 1704/0.06, 1100/0.10, 1214/0.43, 1258/0.10, 1306/0.14, 1330/[illegible], 1737/0.12, 2110/0.07, 2111/0.05, 2111/2813/0.01, 2165/0.[illegible]3, 218[illegible]/0.03, 955/0.02, 956/0.07, 1736/0.12, 1030/0.19, 1032/0.11, 1053/[illegible], 1054/0.32, 1702/0.10, 1739/0.15, 1744/0.16, 1804/0.11, 1805/[illegible], 924/0.23, 927/2677/0.04, 928/0.06, 988/0.34, 1329/0.19 है0 के खातेदार जगन्नाथ पुत्र भौरया के लाऔलाद फौत होने पर विरासत के आधार पर खोले गये नामांतकरण संख्या 675 दिनांक 07.06.2021 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट व रेस्पो0 का सजरा खानदान इस प्रकार है:–

भौरया

जलधारी (फौत) — जगन्नाथ (लाऔलाद फौत) — रामस्वरूप रेस्पो0 7

जलधारी (फौत) → प्रहलाद अपीलांट

(सुनीता मीना)

अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 के बुजुर्ग भौरया थे भौरया की मृत्यु के पश्चात आराजीयात का विरासत के आधार पर उनके तीनो पुत्र जलधारी, जगन्नाथ व रामस्वरूप है जिनमे जलधारी फौत होने पर उसकी समस्त आराजीयात का नामांतकरण अपीलांट के नाम खोला गया तथा जगन्नाथ के लाऔलाद के लाऔलाद फौत होने पर जगन्नाथ की समस्त आराजीयात का नामांतकरण उसके एक मात्र वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 है जो मृतक जगन्नाथ के तर्के पर काबिज व दखील है और मृतक जगन्नाथ की आराजीयात का नामांतकरण अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 के नाम ही खोलना चाहिये। इसलिये रेस्पो0 न0 1 ता 6 के ह कमे खोला गया नामांतकरण न0 675 दिनांक 07.06.2021 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 न0 8 व 9 द्वारा मृतक जगन्नाथ की आराजीयात का नामांतकरण भरते समय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थी पत्र दिनांक 28.04.2021 जो नायब तहसीलदार बालघाट को दिया गया तथा नायब तहसीलदार बालघाट द्वारा उसी दिवस को पटवारी हल्का को कार्यवाही करने बावत दिया गया, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा जानबूझ कर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2021 की पालना नही कर रेस्पो0 न0 1 ता 7 से मिलकर नामांतकरण नही खोला और पटवारी हल्का द्वारा रेस्पो0 न0 1 ता 6 के बिना कब्जे के ही गलत नामांतकरण खोलने की धमकी दी तो अपीलांट ने पुनः दिनांक 08.06.2021 को नायब तहसीलदार टोडाभीम से पटवारी हल्का द्वारा गलत नामांतकरण खोलने की धमकी देने पर नामांतकरण नही खालेने का निवेदन किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जानबूझ कर प्रार्थना पत्र दबाकर एक दिन पहे ही दिनांक 07.06.2021 को पटवारी अपनी गलत रिपोर्ट कर जॉच व तस्दीक हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक श्री सुमन्त गोयल द्वारा जॉच को सही नामकर ग्राम पंचायत शेखपुरा ने विरासत का नामांतकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट एवं रेस्पो0 न0 1 ता 7 जाति से मीना है, इसलिये मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है, जो धारा–2 हिन्दू विधि मे इसका उल्लेख है, क्योकि मीना जाति की महिलाओ को अपने बुजुर्ग व पिता की सम्पत्ति मे केवल उपयोग उपभोग करने का अधिकार होता है, ना कि [illegible] के आधार पर मीना जाति की महिलाओ को पैतृक एवं पिता की सम्पत्ति [illegible] किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार स्वामित्व के संबध मे होता है, नाही उन [illegible] होता है, लेकिन अदालत मातहम ग्राम पचायत शेखपुरा द्वारा रेस्पो0 न0 1 ता [illegible] मिलकर गैर कानूनी रूप से रेस्पो0 न0 1 ता 6 के हक मे नामांतकरण तस्दीक कर मे भारी कानूनी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट द्वारा दिनांक 13.07.2021 को हाल जमाबन्दी निकलवा [illegible] पर अपीलांट को रेस्पो0 न0 1 ता 6 के हक मे खोले गये नामांतकरण न0 675 दिनांक 05.07.2021 की जमाबन्दी होने पर अपीलांट द्वारा नामांतकरण की नकल निकालने बावत दिनांक 15.07.2021 को आवेदन किया जब जाकर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.07.2021 को नकल दी गई। इस प्रकार अपीलांट को उक्त नामांतकरण न0 675 दिनांक 05.07.2021 की नकल मिलाने पर हुई, इसलिये जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा अपील के साथ अलग से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत रेस्पो0 न0 8 व 9 ग्राम पंचायत शेखपुरा के आदेश नामांतकरण न0 675 दिनांक 07.06.2021 निरस्त फरमाये जाकर ग्राम पंचायत को आदेश दिया जावे कि शेखपुरा की आराजीयात ख0न0 1263/0.19, 1264/0.12, 1265/0.11, 1704/0.06, 1100/0.10, 1214/0.43, 1258/0.10, 1306/0.14, 1330/0.06, 1737/0.12, 2110/0.07, 2111/0.05, 2111/2813/0.01, 2165/0.03, 2185/0.03, 955/0.02, 956/0.07, 1736/0.12, 1030/0.19, 1032/0.11, 1053/0.08, 1054/0.32, 1702/0.10, 1739/0.15, 1744/0.16, 1804/0.11, 1805/0.09, 924/0.23, 927/2677/0.04, 928/0.06, 988/0.34, 1329/0.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:11 IST
Reason: SelfAttested

है0 का नामांतकरण अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 के नाम मुताबिक ...
आदेश देने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से मूल नामांतकरण संख्या 675 दिनांक 07.06.2021 तलब किये जाने पर नामांतकरण प्राप्त होने पर शामिल किया गया।

रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये। वकील अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपील मे ग्राम शेखपुरा की आराजीयात पूर्व मे अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 के बुजुर्ग भौरया की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड थी, भौरया की मृत्यु के पश्चात आराजीयात का विरासत के आधार पर उनके तीनो पुत्र जलधारी, जगन्नाथ व रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज हुई है जिनमे जलधारी फौत होने पर उसकी समस्त आराजीयात का नामांतकरण अपीलांट के नाम खोला गया तथा जगन्नाथ के लाऔलाद फौत होने पर जगन्नाथ की समस्त आराजीयात का नामांतकरण उसके एक मात्र वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 है जो मृतक जगन्नाथ के तर्के पर काबिज व दखील है और मृतक जगन्नाथ की आराजीयात का नामांतकरण अपीलांट व रेस्पो0 न0 7 के नाम ही खोलना चाहिये। इसलिये रेस्पो0 न0 1 ता 6 के हक मे खोला गया नामांतकरण न0 675 दिनांक 07.06.2021 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट एवं रेस्पो0 न0 1 ता 7 जाति से मीना है, इसलिये मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है, जो धारा–2 हिन्दू विधि मे इसका उल्लेख है, क्योकि मीना जाति की महिलाओ को अपने बुजुर्ग व पिता की सम्पत्ति मे केवल उपयोग उपभोग करने का अधिकार होता है, ना कि विरासत के आधार पर मीना जाति की महिलाओ को पैतृक एवं पिता की सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार स्वामित्व के संबध मे होता है, नाही उनका कोई हक होता है, लेकिन अदालत मातहम ग्राम पंचायत शेखपुरा द्वारा रेस्पो0 न0 1 ता 7 से मिलकर गैर कानूनी रूप से रेस्पो0 न0 1 ता 6 के हक मे नामांतकरण तस्दीक करने मे भारी कानूनी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल नामांतकरण न0 675 दिनांक 07.06.2021 का अवलोकन किया, पत्रावली ... नामांतकरण न0 675 मे अपील मे वर्णित आराजीयात का जगन्नाथ पुत्र ... विरासत का नामांतकरण अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 ता 7 के हक मे स्वीकार ... पत्रावली मे शामिल नामांतरण न0 560 मे भौरया पुत्र सुखलाल की विरासत ... नामांतकरण जलधारी, जगन्नाथ, रामस्वरूप पि0 भौरया के हक मे स्वीकार हुआ है। खातेदार जगन्नाथ पुत्र भौरया के लाऔलाद फौत होने पर उसके भाईयो के पुत्र वारिस होते है परन्तु नामांतकरण न0 675 दिनांक 07.06.2021 मे रेस्पो0 न0 1 ता 7 के हक मे विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया है। अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी 2002, आर.आर.टी. 2014 के पृष्ठ संख्या 901 प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चश्पा होते है। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम शेखपुरा के नामांतकरण संख्या 675 दिनांक 07.06.2021 खारिज किया जाता है। अत तहसीलदार टोडाभीम को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मृतक जगन्नाथ पुत्र भौरया लाऔलाद फौत होने से पुनः नियमानुसार वारिसान की जॉच कर पुनः नामांतकरण दर्ज किया जावे। ग्राम शेखपुरा का मूल नामांतकरण 675 निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार टोडाभीम को भिजवाया जावे। तहसीलदार टोडाभीम का निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:11 IST
Reason: SelfAttested